अपील सूचना अधिकार संख्या 43/2022(GCMS 2022/180)(आरटीआई नं. 212409607836183) Pawam Kumar C/o Sh. NIRBHAY SHANKAR TIWARI (Adv.) Chamber No. 95, A.K. Sen Block, Lawyer's Chambers, Hon'able Supreme Court of India, New Delhi, PIN-110001 बनाम प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

17.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पवन कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, श्रीगगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 28.04.2022 से नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पवन कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.04.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, श्रीगंगानगर से निम्न नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. आप जानते है कि उपनिवेशिक/उपनिवेशन भूमि बिक्री हेतु क्रेता/विक्रेता को तत्कालीन जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से मंजूरी लेनी होती थी। ये मंजूरी की शर्त की शुरूआत कब हुई और समाप्ति राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी। जो काल तिथि दिनांक, माह और वर्ष सहित बताई जाये।
2. इस मंजूरी की शर्त की शुरूआत और समाप्ति के संबंध में जारी दोनों दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. उपनिवेशिक भूमि की बिक्री हेतु विक्रेता को जिला कलेक्टर से मंजूरी लेनी हे तत्कालीन सभी शर्तों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
4. उपनिवेशिक भूमि की खरीद हेतु क्रेता को जिला कलेक्टर से मंजूरी लेने हेतु कोई तत्कालीन शर्त थी या नहीं। यदि शर्त थी, तो उन सभी शर्तों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
5. आप मुझे सूचना देवें कि श्रीगंगानगर जिले की उपनिवेशिक/उपनिवेशन भूमि की खरीद हेतु क्रेता राजस्थान राज्य की स्थायी/अस्थायी निवासी हो, ऐसा होना कभी आवश्यक था या नहीं। इस संबंध में जारी सभी शर्तो की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
6. राजस्थान सरकार के पत्रांक प.3(15)/राज/उप/76 दिनांक 06.04.1984 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. राजस्थान सरकार के पत्रांक प.3(15)/राज/उप/76 दिनांक 03.06.1985 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. राजस्थान सरकार के पत्रांक प.3(15)/राज/उप/76 दिनांक 07.08.1985 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
9. अन्य आवश्यक सूचना, उपरोक्त संबंध में कोई हो तो देने की कृपा करें।

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ12(11)()रा[illegible]व(अ[illegible]टीआई)/2022/3478 दिनांक 25.07.2022 से अपील का जवा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 02.05.2022 से सम्बन्धित सूचना काफी पुरानी होने तथा सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदनकर्त्ता को समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध होने पर आवेदनकर्त्ता द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 12(11)( ) राजस्व(आरटीआई)/2022/3465 दिनांक 22.07.2022 से निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है। सुलभ संदर्भ हेतु आवेदनकर्त्ता को प्रेषित सूचना पत्र क्रमांक एफ12(11)राजस्व(आरटीआई)/2022/3465 दिनांक 22.07.2022 की छायाप्रतियां इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा
कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब दिया है जिसके अनुसार उनके द्वारा अपने पत्रांक 3465 दिनांक 22.07.2022 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उन्हें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित न होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी राजस्व** [illegible] **क्ट्रेट,** श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी [illegible] जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 17.05.202 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:25 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर